तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	226/2009 223 रिव्यु 1	
06/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/11/2017 को पेश हो।	
24/11/17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलांटस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ख-न. 233/1148 रकबा 0.4 हैक्टयर वाके ग्राम खरबाड़ा तहसील सांगानेर हेतु इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी ख न 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के पूर्व खातेदार रामकिशोर पुत्र रूड़मल ब्राह्मण ने 1985 मे प्रतिवादी स. 1 श्रीमति रुक्मणी देवी के हक मे बेचान कर दिया था। ख.न 98 से नये नम्बर ख.न. 228 रकबा 0.58 है० व 233/1148 रकबा 0.04 है० कुल किता 2 रकबा 0.61 हैक्टयर का नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 23/5/1988 प्रतिवादी स. 1 के नाम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर पर्चा लगान जारी कर दिया गया। वादी ने उक्त आराजी बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी स. 1 से क्रय कर कब्जा आराजी प्राप्त कर लिया तभी से निरन्तर काबिज चले आ रहे है किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयो ने मनमर्जी से आराजी ख न 233/1148 रकबा 0.4 है० वादी के खाते से कम कर प्रतिवादी स. 2 लगायत 6 के खाते में अंकित कर दी, जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।	

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिये जाने से इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि आराजी ख.न. 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पूर्व मे रामकिशोर की खातेदारी मे दर्ज थी तत्पश्चात रामकिशोर से उक्त आराजी रुकमणी देवी ने क्रय की जिस के नये नम्बर 228 रकबा 0.58 है० व 233/1148 रकबा 0.04 है० कायम हुये। श्रीमति रुकमणी देवी से उक्त आराजी बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी / अपीलान्टस द्वारा क्रय की गई है किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी ख.न. 233/1148 रकबा 0.04 है० वादी के खाते से हटाकर नारायण, श्रवण, कन्हा पिसरान नानगा के नाम लगा दी गई जबकि वादी / अपीलान्टस प्रश्नगत आराजी के पूर्व खातेदार श्रीमति रुकमणी देवी से बोनाफाईड क्रेता है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बगैर वादी का वाद खारिज किये जाने मे गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी / अपीलार्थी द्वारा ख.न. 233/1148 की आराजी गलत रूप से क्रय की गई है इस हेतु अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	संदीप गोयल / रुकमणी 226/2009 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल मय 1989 से 2009 की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि जिस खसरा नम्बर 98 का संदर्भ वादी / अपीलांटस देते है उसके परिवर्तित ख.न. 228 रकबा 0.57 है० व 227/1178 रकबा 0.04 है० कायम हुये है एवं ख.न. 233/1148 जो वादी / अपीलार्थ अपना होना क्लेम करते है वह पूर्व ख.न. 92 से कायम हुये है। अतः वादी / अपीलांट का क्लेम ख.न 233/1148 हेतु गलत है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी / अपीलांटस का वाद सही रूप से खारिज किया गया है अतः अपील भी खारिज फरमाई जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो पर उपलब्ध अभिलेखो का इस संदर्भ मे मनन किया जिससे मुख्य रूप से मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जो पूर्व आराजी ख.न. 98 जो रामकिशोर की खातेदारी मे था एवं जिसका क्रय पूर्व मे प्रतिवादी / रिस्पोडेन्ट सं. 1 रुकमणी देवी द्वारा रामकिशोर से किया गया, उसके परिवर्तित ख.न. 228 रकबा 0.57 हैक्टयर व ख.न 227/1178 रकबा 0.04 हैक्टयर कायम हुये है जिस ख.न 233/1148 हेतु वादी / अपीलांट क्लेम करते है वह ख.न.	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

संदीप गोयल / रुकमणी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
226/2009		

था एवं न ही उसके क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान हुआ था. ऐसी स्थिति मे ख.नं. 233/1148 रकबा 0.04 हैक्टयर का बेचान प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 रुकमणी देवी द्वारा गलत रूप से वादी/अपीलांटस को किया जाना रिकार्ड से प्रतीत होता है, जिससे वादी/अपीलांटस का वाद बाबत ख.नं. 233/1148 हेतु सही रूप से खारिज किया गया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2009 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।